

कार्यालय गजारत, जनपद न्यायालय, दाराबंकी
इशितहार नीताम ठेका वर्ष 2017-18

रावेशाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित ठेको की नीतामी दिन 21.06.2017 को समय 4.00 बजे साथ जिला न्यायालय परिसर धाराबंकी में रामन होगी।

1. दुकान नं.1, जायमीठा, नमतीन एंडोसारो भवन के निचले नियंत्रण कार्यालय की बालूँ से सटाकर लेन्टफल 10X15 फिट।
2. ठेका पोटा स्टोर न्यायालय के सामने लेन्टफल 10X15 फिट।
3. ठेका पोटा ग्रामी न्यायालय के सामने लेन्टफल 10X15 फिट।

नियम व शर्तें

1. उक्त ठेको की बोली बोलने हेतु आवेदक को नियंत्रण कार्यालय धाराबंकी वर्ष 2017-18 नीति दिन 21.06.2017 को जामा करनी होगी।
2. नीतामी में जामा लेने हेतु प्रत्येक लकिया को अपना आवार काड़े भरन्हन पर इस प्रमाण पर जो प्रथम आपी गिरिंगट्रैट द्वारा नियंत्रित किया गया हो, प्रत्युत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा नियिदा अरबीकृत कर दी जायेगी।
3. ठेका की अवधि दिन 31.03.2018 तक होगी।
4. जिस गांगोदार की बोली रावरो अधिक होगी, उसकी बोली स्वीकृत होने पर वार ब्रेनासिक किश्तों में ठेका धनराशि देय होगी। जिसमें एक किश्त बोली स्वीकृत होने पर सिवयोरिटी मनी के रूप में जमा में ठेका धनराशि देय होगी। जिसमें एक किश्त बोली स्वीकृत होने पर सिवयोरिटी मनी के रूप में जमा करनी होगी एव व्यवसाय प्रराग करने से पूर्व प्रथम किश्त जमा करनी होगी। द्वितीय किश्त, तुलीय किश्त त चौथी किश्त न्यायालय द्वारा नियांत्रित तिथियों में देय होगी। चौथी किश्त न जमा करने पर पूर्व में जमा रिक्वोरिटी मनी से जमा कर लिया जायेगा।
5. बोली दाता की बोली स्वीकृत रूपे पर व्यवसाय प्रराग करने से पूर्व रात्रि पोर पर लेन्टफल 10X15 फिट नियांत्रित करना अनिवार्य होगा। तभी व्यवसाय प्रराग कर सकेगा, किसी भी ठेकेदार को उक्त पर व्यवसाय करने की अनुमति नहीं होगी। ठेका स्थल की साफ राफाई की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। उक्तदार खाद्याय पदार्थ की गृणकता व साफ साफाई का विशेष ध्यान रखेगे, साफ साफाई का विवरित वर्णन का प्रयोग अवश्य करें।
6. अधोहरताकारी का दूजे अधिकार होगा कि वह किसी भी नियिदा को नियरत कर सकत है।
7. नियांत्रित समय पर उक्तिवाले किश्त न जमा करने पर ठेका स्वयं नियरत हो, जिसके फलस्तरकृप पुनः नीतामी में जो नुकसान होगा वह उक्तदार की चल अचल सम्पत्ति से दृष्टिया जायेगा तथा जमानत धनराशि लक्ष कर होगी।
8. उक्तदार को दुकान के अन्दर व बाहर साफ सफाई की व्यवस्था स्वयं करनी चाही जाती रात्रि रात्रि धनराशि लक्ष कर होगा।
9. उक्तदार को प्रत्येक दुकान हेतु नियांत्रित गृणी में ठेका अवधि तक के लिए अरपाई जानी चाही अपने द्वारा प्रत्येक दुकान जोगत तथा ठेका अवधि रामार्त होने पर लक्ष कर अस्थाई नियांत्रित वर्ष अपना दाया पर हटाना चाही।
10. उक्तदार नगर पारेष्ट द्वारा कोई क्र अध्यारोपित को जाती है तो उसकी आदायामी का उत्तराधीन उपरांकित दाया होगा।
11. उक्तदार को दुकान पर रेट बोर्ड लगाना होगा, जो बाजार की दरों की अनुमति होगा अथवा अधोहरताकारी द्वारा स्वीकृत किया हुआ होगा।
12. उक्तदार द्वारा ठेके की शर्तों का उक्ता अवधि में किसी भी प्रकार से उल्लंघन करने पर उक्त अधोहरताकारी द्वारा नियरत कर दिया जायेगा।
13. जागरेका दुकानों का कम्हार बोली हेतु नियांत्रित गृणतम धनराशि (प्रिलिंगी बोली) वर्ष 10 प्रतिशत नियांत्रित हो।

1. दुकान नं.1, जायमीठा, नमतीन।
2. ठेका पोटा स्टोर।
3. ठेका पोटा ग्रामी।

(21.06.2017)
21.06.2017
7.5.2017

5/6/17

(21.06.2017)
21.06.2017
(21.06.2017)

(21.06.2017)
21.06.2017
21.06.2017

(21.06.2017)
21.06.2017
21.06.2017

(21.06.2017)
21.06.2017
21.06.2017

(21.06.2017)
21.06.2017
21.06.2017